प्रेस नोटः—

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक— 25.09.2019

पैदल गश्त अभियानः—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपदीय पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने—अपने थाना क्षेत्रों में अलग—अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़—भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया जिससे चौराहों व भीड़—भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए **290 भादवि में 10 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—:

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल—22 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर ने पूर्व में हुई अपराध गोष्ठी में जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए इस आदेश के अनुपालन में दिनांक 24.09.2019 को जनपद के थानों ने 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 115 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है—

01. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कमलेश पत्नी मतई, 02.गुड़िया पत्नी अमरजीत, 03.किसमता देवी पत्नी भवानी नि0 वनकसिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0—242/19, 01.अर्चना पत्नी धनश्याम बरूवार, 02.पूजा बरूवार पत्नी पिन्टू बरूवार, 03.शारदा बरूवार पत्नी मुन्ना लाल नि0 वनकसिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0—243/19, धारा 60/60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

02. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. घनश्याम पुत्र सरजू प्रसाद मौर्या, 02.गंगा राम पुत्र बाबू राम नि0 भवानी पुरवा मौजा देवा पसिया थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—221/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

03. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. लाल माफी पुत्र सूरज लाल सोनकर नि0 वनकटा चार्यगंज मौजा परेड सरकार थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—730/19, 02.जोखू यादव पुत्र राम नरायन यादव नि0 शंकरपुरा पथवलिया थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—731/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

बलवा करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। बुधवार जनपद गोण्डा के थाना को0 नगर पुलिस ने बलवा करने के आरोपी अभियुक्त—हरिओम सिंह पुत्र राजकुमार सिंह नि0 इमरती बिसेन थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को थाना को0 नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0—727/19, धारा 147.148.149.323. 504.506.308.324 भादवि के तहत गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 23.09.2019 को वादिनी शाबरीन बानों पत्नी महबूब अली के भाई व अभियुक्त हरिओम के पुत्र के बीच कहॅा सुनी हो गयी थी। उसी बात को लेकर विपक्षीगणों द्वारा लोक व्यवस्था को बाधित करते हुए एक राय होकर गाली—गुप्ता देते हुए लाठी—डण्डा, फरसा से लैस होकर वादिनी के पिता को मारकर घायल कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा विपक्षीगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें आज दिनांक 25.09.2019 को को0 नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त हरिओम सिंह को इमरती बिसेन तिराहा बहराइच रोड के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण—दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल—17 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल दिनांक 25.09.2019

02 जालसाज अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. राजकुमार पुत्र राम किशोर नि0 गोसाईपुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. शेरबहादुर पुत्र रामदुलारे नि0 गोसाईपुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–277/18, धारा 419.420.467.468.471.352.504 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान मे वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर में वादिनी प्रेम कुमारी की जमीन को फर्जी व कूटरचित ढंग से वसीयतनामा कराने से सम्बंधित मु0अ0सं0–277/18, धारा 419.420.467.468.471.352.504 भादवि के वांछित अभियुक्तों को आज दिनांक 25.09.2019 को थाना धानेपुर व अपराध शाखा की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर धानेपुर ब्लाक के सामने से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. नि0 राम औतार सिंह अपराध शाखा।
02. रतन कुमार पाण्डेय थानाध्यक्ष धानेपुर।
03. उ0नि0 बृजेश गुप्ता।
04. हेड का0 गंगा सिंह यादव।
05. का0 देवानन्द वर्मा।
06. का0 शिवजीत यादव।